1 पूर्व चेतावनी

समुदाय की आपदा पूर्व तैयारी और
आपदा से बचाव हेतु परामर्श पुस्तिका

सुरजन लाल की पूर्व चेतावनी

EUROPEAN COMMISSION
Humanitarian Aid

Malteser International
Order of Malta Worldwide Relief

Sahbhagi Shikshan Kendra
A Centre for Participatory Learning

समुदाय की आपदा पूर्व तैयारी और
आपदा से बचाव हेतु परामर्श पुस्तिका

1

सुरजनलाल की

पूर्व चेतावनी

सामान्य दिनों में गाँव

सुरजनलाल की
पूर्व चेतावनी

राहतपुरवा और दुखनपुरवा दो पड़ोसी गाँव हैं, जो मगरा नदी के किनारे बसे हैं। यह नदी इन दोनों गाँवों के साथ इलाके के कई गाँव में हर साल बाढ़ लाती है। साथ ही नदी का हर साल अपना रास्ता बदलने का भी स्वभाव है। इस कारण कभी बांयीं तरफ तो कभी दांयीं तरफ की खेती योग्य जमीन कट जाती है। करीब बीस साल पहले बाढ़ से बचाव के लिए एक तटबंध बनाया गया था। उससे पहले ये नदी बहुत बड़े इलाके में बाढ़ लाती थी। राहतपुरवा और दुखनपुरवा दोनों गाँवों के हर एक तरफ तटबंध है और दूसरी तरफ नदी या यूँ कहे कि दोनों गाँव नदी और तटबंध के बीच पड़ते हैं। इन दोनों गाँवों की कहानी के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि, दोनों ही गाँवों में आपदा से बचाव और उसके प्रबंधन के बारे में जानकारी देने वाली एक गैर सरकारी संस्था ने सम्पर्क किया था। राहत पुरवा के लोगों ने संस्था की बातों को सुना, समझा और अमल में लाया, जबकि दुखनपुरवा के लोगों ने संस्था की बातों को हवा में उड़ा दिया। इस कहानी में हम जानेंगे कि बाढ़ आने पर दोनों गाँवों में क्या-क्या हुआ। राहतपुरवा में गैर सरकारी संस्था की मदद से पांच विषयों पर लोगों के बीच समझ बनी और इन विषयों पर कार्यदल का गठन किया गया। संस्था द्वारा कार्यदलों के सभी सदस्यों को आपदा प्रबंधन से जुड़े पाँच विषयों (पूर्व चेतावनी, खोज एवं बचाव, प्राथमिक चिकित्सा, शुद्ध पेयजल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तथा सामाजिक जुड़ाव) पर अलग-अलग

पूर्व चेतावनी कार्यदल के गठन की बैठक

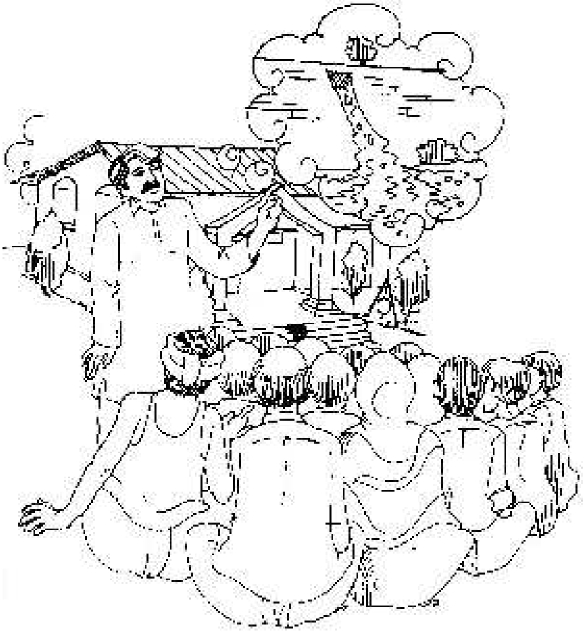

चेतावनी के माध्यम

प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षणोपरांत कार्यदल के इन सदस्यों ने संस्था द्वारा बताए गए कार्ययोजना के अनुसार आपदा प्रबंधन की दिशा में बाकी कार्यदलों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इस पुस्तिका में हम लोग पूर्व चेतावनी कार्यदल के बारे में जानेंगे। राहतपुरवा पूर्व चेतावनी कार्यदल के एक सदस्य का नाम सुरजनलाल है।

गैर सरकारी संस्था के सदस्यों ने राहतपुरवा में कई बैठक की, इन बैठकों में सामने आया कि अगर पूर्व जानकारी मिल जाये तो गाँव वाले अपने-आप ही बचाव के कई इंतजाम करने में सक्षम हैं। लेकिन गाँव वालों के पास कोई कारगर पूर्व चेतावनी प्रणाली नहीं है। अतः पूर्व चेतावनी कार्यदल ने राहतपुरवा निवासियों को प्रभावी पूर्व चेतावनी और पूर्व चेतावनी प्रणाली के बारे में समझाया। इसके बाद गाँव वालों ने एक राहतपुरवा विकास समिति की बैठक के दौरान '**पूर्व चेतावनी कार्यदल**' का गठन किया और सुरजन लाल को कार्यदल के सदस्य के रूप में चयनित किया। सुरजन लाल को गैर सरकारी संस्था की तरफ से पूर्व चेतावनी प्रणाली के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। गैर सरकारी संस्था द्वारा विभिन्न पंचायतों के 'पूर्व चेतावनी' कार्यदल के सदस्यों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सुरजन लाल भी शामिल हुआ।

सुरजन लाल और कार्यदल के अन्य सदस्यों ने प्रशिक्षण पाने के बाद पहले राहतपुरवा के निवासियों के बीच पूर्व चेतावनी की

खतरे की जानकारी

जरूरत और महत्व पर चर्चा करना सुनिश्चित किया। इसके लिए सुरजन लाल ने अपने ही घर पर गाँव वालों की बैठक बुलाई और उन्हें संकट और आपदा के भेद को समझाया। साथ ही पूर्व चेतावनी का मतलब समझाते हुए बताया कि किसी भी होने वाली घटना (जो जान-माल का नुकसान पहुंचा सकती है) के बारे में पहले और समय से सचेत कर देना, जिससे उस घटना के नुकसान और जोखिम को कम किया जा सके, **'पूर्व चेतावनी'** कहलाती है। जब पूर्व चेतावनी देने के लिए कोई सरकारी या तकनीकी व्यवस्था हो तो उसे पूर्व चेतावनी प्रणाली कहते हैं।

सुरजन लाल ने अगली बैठक में कार्यदल के अन्य सदस्यों के सहयोग से पूर्व चेतावनी के चार मौलिक तत्वों के बारे में बताया। पहला **'खतरे की जानकारी'** जिसके अन्तर्गत क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को समझा जाता है जैसे- राहतपुरवा में कौन-कौन सी आपदा आ सकती है और उससे कौन लोग पहले प्रभावित होंगे और पूर्व में कौन सी आपदायें क्षेत्र को प्रभावित करती रही हैं और कितने अन्तराल पर, यह सब जानकारी आपदा का अनुमान लगाने और पूर्व तैयारी में सहायक होती है। अगला मौलिक तत्व है **'चेतावनी के माध्यम'** जिसके तहत प्राकृतिक संकेतों को भी 'चेतावनी के माध्यम' के रूप में देखा जाता है जैसे अगर बारिश बहुत अधिक और लगातार हो रही है तो अनुमान लगाया जा सकता है कि बाढ़ आ सकती है। जब कई माध्यम से चेतावनी की पुष्टि हो जाये तो उसका प्रसार करना जरूरी होता है, इसे

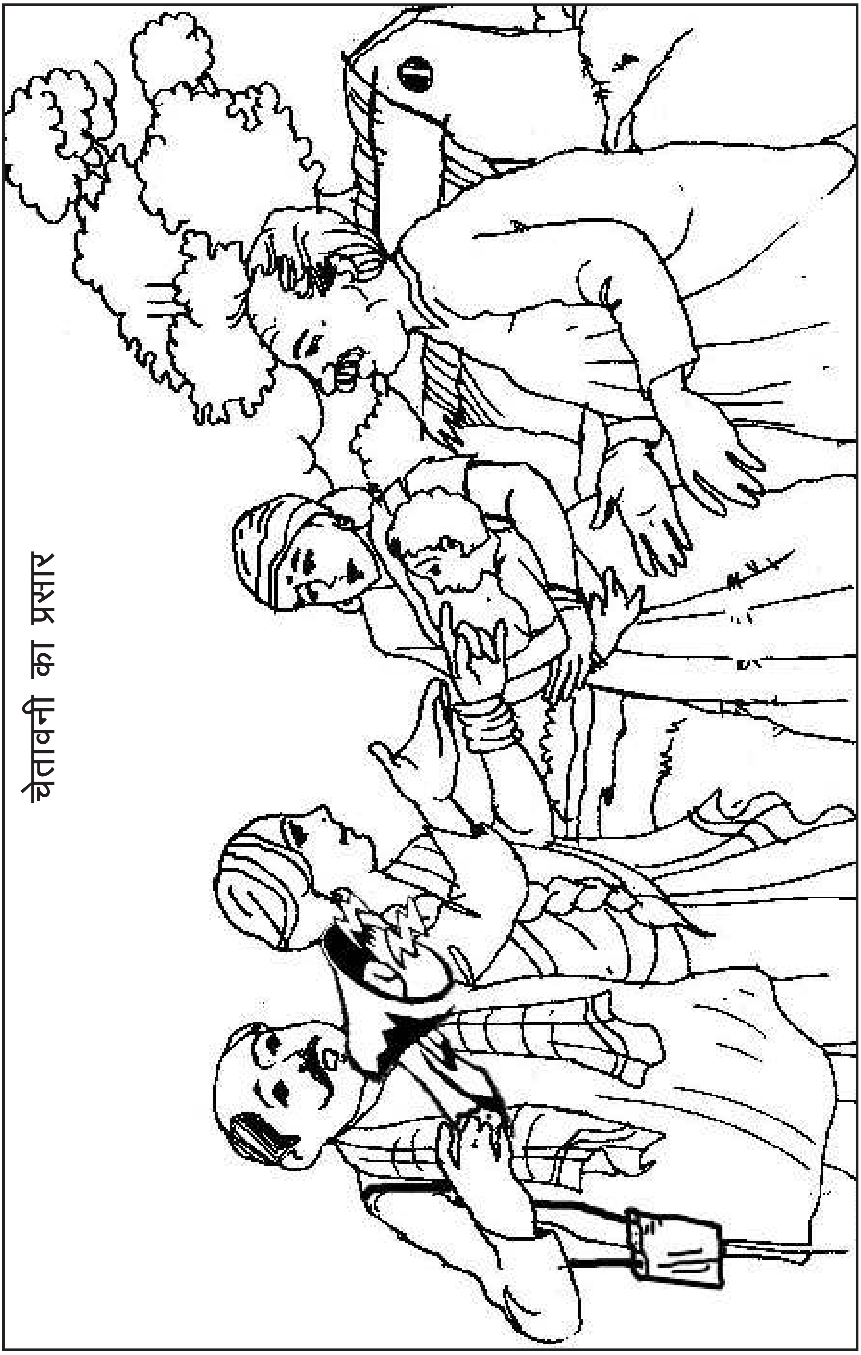

चेतावनी का प्रसार

'चेतावनी का प्रसार' कहा जाता है। चौथा मौलिक तत्व है **'चेतावनी पर समुदाय की बचाव क्षमता'।** इसका मुख्य उद्देश्य है कि चेतावनी मिलने पर समुदाय आपदा से अपने बचाव की तैयारी शुरू कर दें। सुरजन लाल ने गाँव वालों को बताया कि पूर्व चेतावनी प्रणाली तभी सफल मानी जाती है जब पूर्व चेतावनी मिलने पर समुदाय में तत्परता से अपने बचाव की क्षमता विकसित हो जाए।

सुरजन लाल और कार्यदल के अन्य सदस्यों ने राहतपुरवा में घूम-घूमकर ग्रामवासियों को प्रेरित किया कि वे बारिश के दिनों में रेडियो और अखबार के माध्यम से बाढ़ की स्थिति जानने का प्रयास करते रहें, ऐसा करने से समुदाय समय रहते अपना बचाव कर सकेगा। दूसरी तरफ दुखनपुरवा में लोगों ने बाढ़ की पूर्व चेतावनी पाने के कोई अतिरिक्त प्रयत्न नहीं किये।

सुरजन लाल और कार्यदल के सदस्यों ने बरसात के मौसम में प्रधान और बी.डी.ओ. साहब से अपना सम्पर्क बनाए रखा और साथ ही एक सूचना रजिस्टर भी बनाया जिसमें प्रधान, बी.डी.ओ. साहब, आपदा बाबू और आपदा प्रकोष्ठ के विभिन्न अधिकारियों के फोन नम्बर दर्ज किये। यह सूचना रजिस्टर सुरजन लाल के घर पर ही रखा गया और ग्रामवासियों को बताया गया कि कोई भी आपदा के समय रजिस्टर में दर्ज फोन नम्बरों पर संपर्क कर बाढ़ की जानकारी ले सकता है।

चेतावनी पर समुदाय की बचाव क्षमता

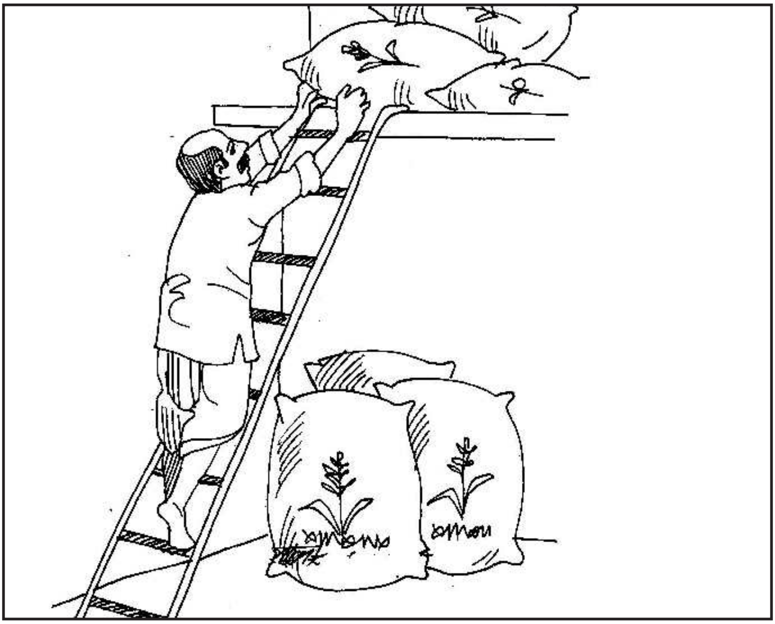

चेतावनी पर समुदाय की बचाव क्षमता

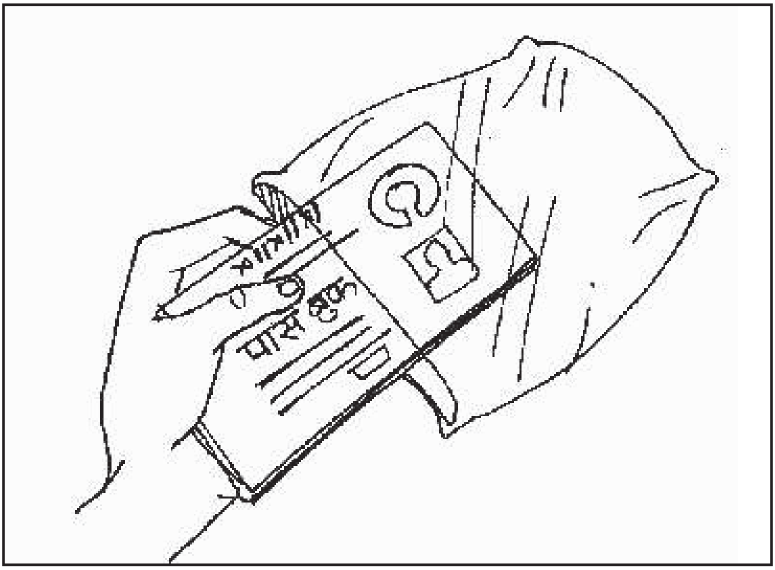

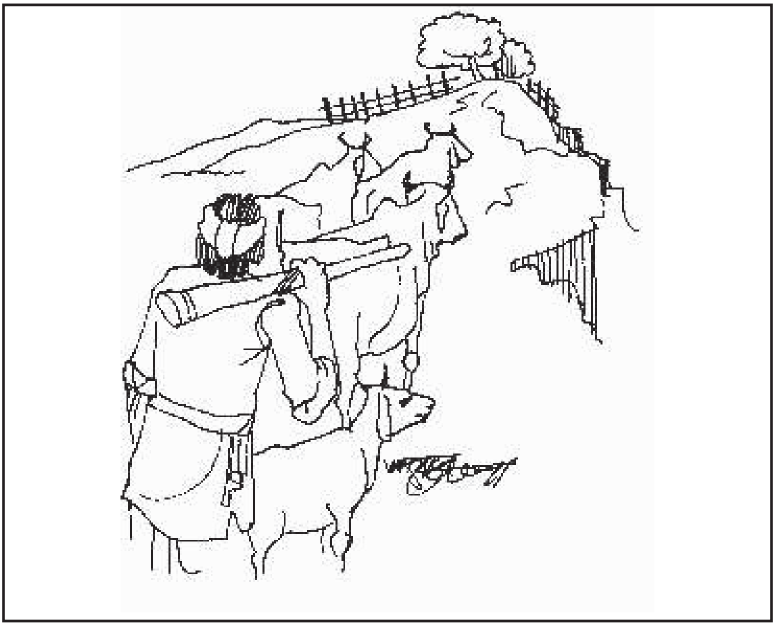

कार्यदल सदस्यों का सरकारी अधिकारियों से सम्पर्क

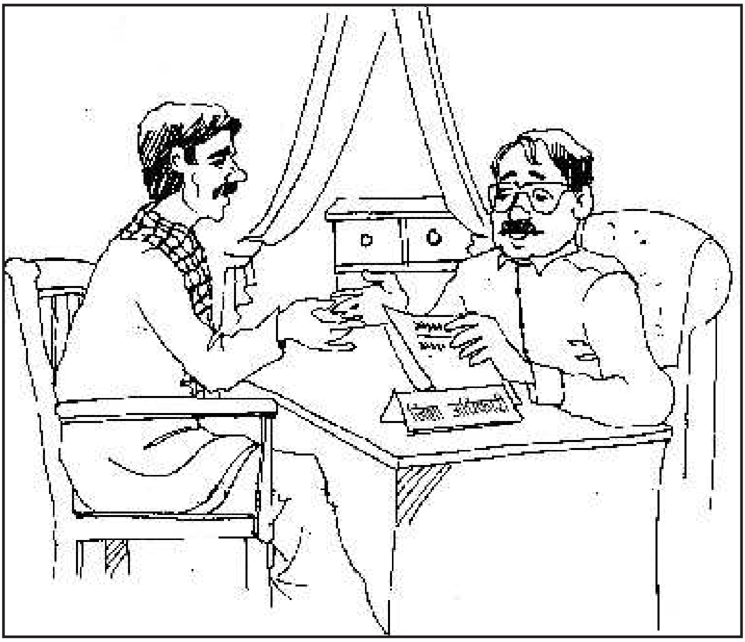

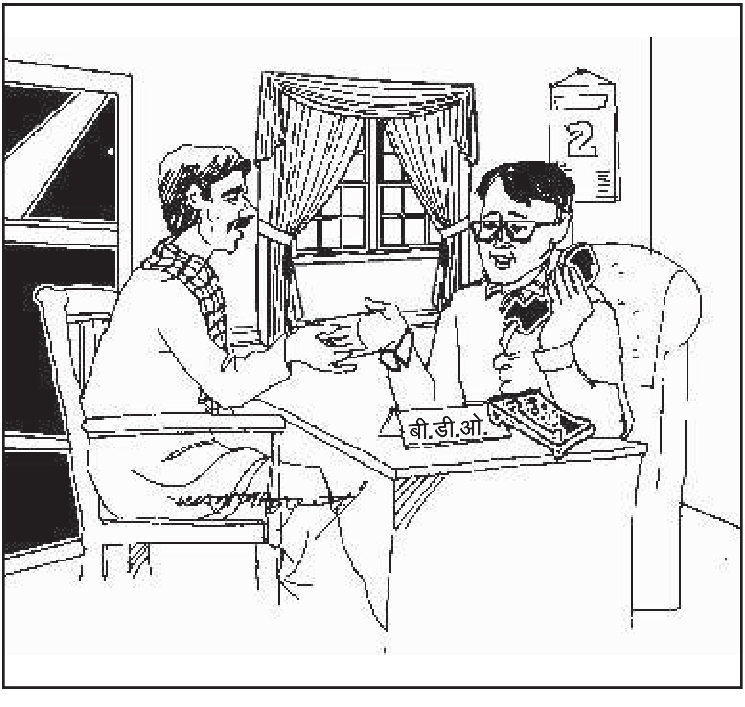

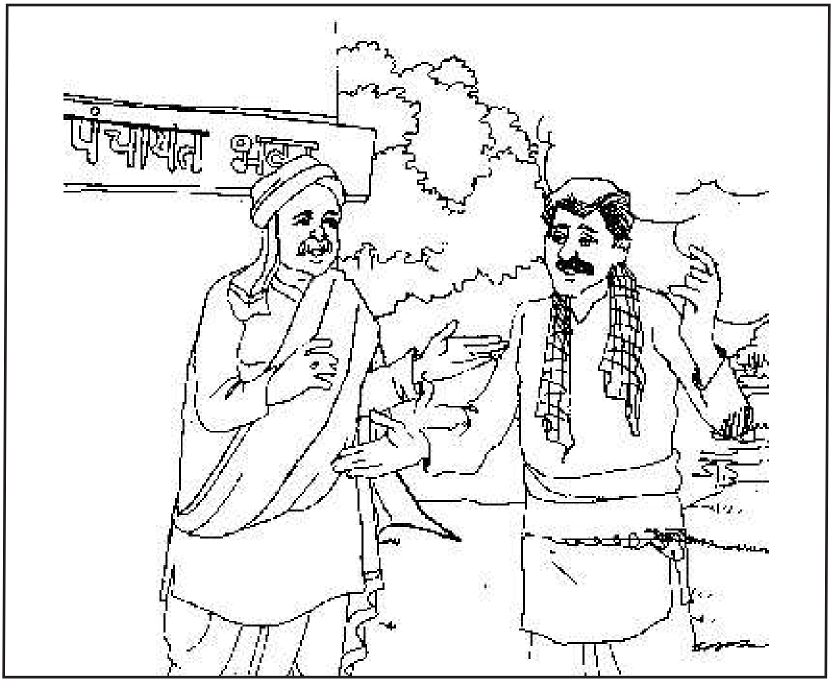

गैर सरकारी संस्था ने सुरजन लाल सहित कार्यदल को एक मेगाफोन और साइरन भी दिया ताकि बाढ़ की पूर्व चेतावनी मिलते ही राहतपुरवा के हर व्यक्ति को बाढ़ की पूर्व सूचना मिल जाये। राहतपुरवा में पूर्व चेतावनी पाने के लिए दो तरफ तैयारी की गयी, एक सरकार के स्तर से वर्तमान व्यवस्था के अनुसार सूचना आना और पूर्व चेतावनी कार्यदल के सदस्यों द्वारा दिये गये मेगाफोन और साइरन के माध्यम से समुदाय तक पहुंचना, दूसरी तरफ समुदाय के स्तर से पूर्व चेतावनी कार्यदल के माध्यम से प्रधान और सरकारी अधिकारियों के सम्पर्क में रहकर खुद ही बारिश और बाढ़ पर नजर रखना।

अगस्त माह की 2 तारीख को राहतपुरवा में रहने वाले तेरह वर्षीय

बाढ़ पूर्व चेतावनी के लिए सामुदायिक स्तर पर समाधान

नन्दू ने रेडियो पर नेपाल में मूसलाधार बारिश का समाचार सुना और उसने तुरन्त ही सुरजन लाल को इसकी सूचना दी। सुरजन लाल ने भी तत्परता से पूर्व चेतावनी कार्यदल के सदस्यों को बुलाया और विभिन्न माध्यमों से यह जानने का प्रयास किया कि क्या नेपाल की बारिश के कारण उनके गाँव में भी बाढ़ आ सकती है। इस प्रक्रिया में आपदा बाबू से सुरजनलाल को ज्ञात हुआ कि राहतपुरवा सहित इलाके में बाढ़ आ सकती है क्योंकि नेपाल स्थित बैराज से पानी छोड़े जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि आप लोग अपने स्तर से सजग रहें और जब पानी छोड़ा जाएगा तो वे स्वयं जानकारी देंगे। राहतपुरवा के कुछ लोगों ने दुखनपुरवा के लोगों को भी इस बारे में बताया लेकिन उन लोगों ने कहा कि बिन बारिश बाढ़ कहां से आयेगी?

3 अगस्त को प्रातः चार बजे सुरजन लाल और कार्यदल के सदस्यों के फोन पर बाढ़ आने की सूचना आ गयी, सरकार की तरफ से जानकारी मिली कि आठ घण्टों में राहतपुरवा सहित अन्य गाँवों में चार से पाँच फिट पानी होगा। जानकारी मिलते ही पूरा पूर्व चेतावनी कार्यदल पूर्व में बनायी गयी अपनी आपदा योजना के अनुसार कार्य करने लगा। एक कार्यदल सदस्य मेगाफोन लेकर ग्रामवासियों को पूर्व चेतावनी देने निकल पड़ा, दूसरा सदस्य साइरन बजाने दौड़ा, जबकि तीन सदस्य अन्य कार्यदलों को सचेत करने और आपदा योजना बनाने के लिए चल दिए। सुरजन निःसहाय लोगों/समूहों तक पूर्व चेतावनी देने पहुंचे और वे

सुरक्षित स्थल की तरफ जायें, इसका जिम्मा उठाया जबकि कार्यदल के अन्य सदस्यों ने बाढ़ की पल-पल जानकारी हासिल करने का काम लिया।

पूर्व चेतावनी कार्यदल की जागरूकता और व्यवस्थित प्रयासों के कारण पूरा राहतपुरवा प्रातः दस बजे तक अपने जरूरी सामान और पशुओं के साथ सुरक्षित तटबंध पर पहुंच गया था। यही नहीं कार्यदल ने राहतपुरवा के पास के गाँव में भी पूर्व चेतावनी पहुंचा दी थी। लेकिन अन्य गाँवों में (जिसमें दुखनपुरवा भी सम्मिलित है) पूर्व चेतावनी मिलने पर समुदाय की बचाव क्षमता का विकास न होने के कारण पूर्व चेतावनी की गम्भीरता को नहीं समझा और इस कारण लोगों को धन-सम्पत्ति का नुकसान उठाना पड़ा।

राहतपुरवा निवासियों ने महसूस किया कि पूर्व चेतावनी कार्यदल की बात मानने के कारण उनका बाढ़ से नुकसान बहुत कम हुआ जबकि अन्य गाँवों की स्थिति पहले जैसी ही हुई। इस घटना के बाद राहतपुरवा निवासियों ने निश्चय किया कि वे पूर्व चेतावनी कार्यदल के साथ पूरा सहयोग करेंगे, गैर सरकारी संस्था द्वारा दिए गए तकनीकी संसाधनों की भी देखभाल पूरी जिम्मेदारी से करेंगे। उधर दुखनपुरवा में भी नुकसान उठाने के बाद समुदाय को प्रभावकारी पूर्व चेतावनी का महत्व समझ में आया और उन्होंने अपने गाँव में भी प्रभावकारी पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने का निर्णय लिया।

सहभागी शिक्षण केन्द्र के बारे में....

सहभागी शिक्षण केन्द्र सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत नागर समाज संगठन है जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछडे समुदायों के सशक्तीकरण के लिए समर्पित है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए केन्द्र अच्छे अभिशासन हेतु जन-सहभागिता जगाने के कार्यों में संलग्न है। यह संस्थान मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार व झारखण्ड में कार्यरत है। सामाजिक परिवर्तन के कार्यक्रमों में ग्राम्य स्तर/ग्रासरूट पर कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों एवं नागर समाज के अन्य संगठनों को आवश्यक शैक्षणिक सहयोग प्रदान कर उन संस्थाओं व संगठनों की क्षमतावृद्धि करना इस केन्द्र का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है।

इस उद्देश्य पूर्ति हेतु केन्द्र द्वारा ग्राम्य स्तर पर कार्यरत संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी, मध्य स्तर एवं क्षेत्र स्तरीय कार्यकर्ताओं के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से महिला नेतृत्व विकास प्रशिक्षण, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, संस्था प्रबन्धन, लेखांकन एवं वित्तीय प्रबन्धन, नेतृत्व विकास प्रशिक्षण, पी.आर.ए. एवं माइक्रोप्लानिंग आदि प्रमुख है। साथ ही केन्द्र द्वारा कार्यनीतिक नियोजन,परिणाम आधारित कार्यक्रम नियोजन व प्रबंधन तथा आन्तरिक संगठन प्रबन्धन से जुडे विभिन्न मुद्दों पर लघु अवधीय प्रशिक्षण व कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।

73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के बाद केन्द्र द्वारा स्थानीय स्वशासन को प्रभावी व कारगर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास एवं प्रयोग किये जा रहे हैं। इस दृष्टि से केन्द्र द्वारा स्थानीय स्वशासन के सशक्तीकरण हेतु राज्य व जिला स्तरीय संदर्भ केन्द्रों की स्थापना की गयी है।

स्थानीय स्वशासन के मुद्दे पर केन्द्र द्वारा अनेक अभिनव प्रयास किये जा रहे हैं। इसमें विभिन्न कर्ताओं की क्षमतावृद्धि के साथ साथ जानकारी का आदान-प्रदान, स्थानीय स्वशासन से जुडे विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन, सम्बन्धित घटकों के साथ अन्तर्सम्बन्ध निर्माण एवं विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर पैरवी का कार्य किया जा रहा है। जन केन्द्रित विकास की दशा एवं दिशा को सशक्त एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से केन्द्र 10 जनपदों में नगरीय एवं ग्रामीण स्वशासन इकाईयों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।

इसके अतिरिक्त विकास में संलग्न विभिन्न कर्ताओं को अनुश्रवण मूल्यांकन, संस्थागत विकास, टीम बिल्डिंग, शोध एवं अध्ययन, प्रक्रिया दस्तावेजीकरण आदि के संदर्भ में केन्द्र द्वारा परामर्शी सेवायें भी प्रदान की जाती हैं। सहभागी शिक्षण केन्द्र ने उत्तर प्रदेश के चार क्षेत्रों में अपने को स्थानीय स्वशासन के साथ विभिन्न मुद्दों पर जैसे- सामाजिक अंकेक्षण, पलायन, आपदा प्रबंधन, बालिका शिक्षा व वन अधिकार आदि के क्षेत्रों में नवाचार प्रयोग किया है। इन प्रयोगों से निकले अनुभवों को प्रशिक्षण और नीतिगत पैरवी हेतु उपयोग किया जाता है।

सहभागी शिक्षण केन्द्र

सहभागी रोड, छठा मील, पुलिस फायर स्टेशन के पीछे

सीतापुर रोड, लखनऊ-227 208 (उ.प्र.)

फोन : (0522) 6980124, 9452293783, 9616231499

9935302536, 9935321481

ईमेल: info@sahbhagi.org वेबसाइट: www.sahbhagi.org